न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/103 (103/2020)

मनीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन ब्राह्मणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्राहम्ण वासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. करतार सिंह पुत्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी ब्राहम्ण वासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। (फौत)

2/1 भूराराम पुत्र स्व0 करतार सिह (फौत)

2/1/2 कमला पत्नी भूराराम जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/1/3 भगवान कौर पुत्री भूराराम जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/1/3 काली पुत्री भूराराम (किनर) जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/1/4 कान्ता पुत्री भूराराम जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/1/5 रतन पुत्र भूराराम जाति जटसिख निवासी ब्रहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/3 लाधूराम पुत्र कारतार सिंह जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोंहर जिला हनुमानगढ़।

2/4 बादो देवी पत्नी मुखराम चाहर पुत्री करतार सिह जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/5 मुन्शीराम पुत्र करतार सिह जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/6 किडूराम पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/7 अमरजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2/8 हरजिन्द्र कौर पत्नी धर्मसिंह पुत्री करतार सिह जाति जटसिख निवासी रतीरोड़ी फरीद कोट पंजाब।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2/9 अमरजी कौर पत्नी बूटा सिह पत्नी भूरासिंह पुत्री करतार सिह जाति जटसिख निवासी कोटली गोनियाना पंजाब।
2/10 गुडी देवी पुत्री करतार सिंह (फौत)
2/10/1 पितो पुत्री गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2/10/2 पप्पु पुत्र गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2/10/3 कान्ता पुत्री गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2/10/4 चोथा पुत्री गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2/10/5 श्यामा पुत्र गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2/10/6 भजली पुत्री गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2/10/7 रामरतन पुत्र गुड्डी देवी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3. अमीलाल पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन ब्राहम्ण वासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर जिला हनुमानगढ जरिये प्रबंधक।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2020, प्र. सं. 278/2018
अनवान हरलाल बनाम अमीलाल आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

उपस्थितः—
श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महेशचन्द्र अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का वाद पेश किया। वाद पत्र में रोही मौजा ब्राहम्णवासी तहसील नोहर के खाता सं0 126 की 2.2830 है0 भूमि में अपना 60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 158–1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 276–2/3 हिस्सा होने व प्रतिवादी संख्या 3 का 160 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड होना बताया। वादी ने प्रश्नगत भूमि का खाता मुताबिक हक हिस्सा तथा मुताबिक कब्जा काश्त अलग अलग कायम किये जाने व जमाबन्दी में नक्शे में अलग अलग दर्ज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से विभजान प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाण्ट को ना तो नोटिस दिया गया ना ही उसके समक्ष अथवा अन्य किसी के समक्ष कोई विभाजन प्रस्ताव नक्शा तैयार किया गया बल्कि रेस्पो0 संख्या 1 को अच्छी किस्म की भूमि दिये जाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। प्रश्नगत भूमि के किस और बिना धोरों वाली है एवं किस और समतल है एवं मूल्य के हिसाब से भी अनुपातिक समानता बाबत कोई गणना किए बिना प्रस्तुत विभजान प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया है। समस्त भूमि एकसमान हो इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रश्नगत भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर के यहां रहन रखी हुई है। प्रतिवादीगण की तामील विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। प्रकरणों की बाहुल्यता को बढाने की नियत से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आरआरटी पेज 777, 1995 आरआरडी पेज 475, 2013 आरआरडी पेज 714, 2016 आरआरटी पेज 87, 2019 आरबीजे पेज 751 डीबी, 2011–12 आरआरटी पेज 698 डीबी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि में वादी का 60 हिस्सा भूमि ही है जिसका खाता रेस्पो0 सं0 1 अलग करवाना चाहता है। जहां मैने जमीन खरीदी है वहीं पर मेरा कब्जा है दो बार विभाजन प्रस्ताव आया है एतराज आया उसके बाद मेरा खाता अलग कर दिया गया है। प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि का तो विभाजन किया ही नहीं किया है वह अभी भी संयुक्त खाता में दर्ज है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का एतराज निराधार है केवल वाद में ... के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि स... है ... अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:51 IST
Reason: SelfAttested

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे खाता विभाजन का वाद था जो डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 09.09.2019 को विभाजन प्रस्ताव मंगवाया था उसमें राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं

राजस्व अपील प्राधि...
हनुमानगढ़

किये जाने पर एतराज किया गया था जिस पर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। पुनः विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलाण्ट को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016 (1) पेज 87 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तहसीलदार ने मौका देखने के बाद विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया –सभी सह खातेदारों के विभाजन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं जवाब पेश करने का सह खातेदारों को अवसर नही दिया है जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियमों के नियम 18 से 21 का उल्लंघन है। इस प्रकरण में भी पक्षकारान के पक्ष भी नहीं सुना गया है और तकास्मा रिपोर्ट में सभी खातेदारान के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं जबकि विभाजन रिपोर्ट सभी सह खातेदारान की उपस्थिति में उनकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए थी। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 31.08.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जवे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:51 IST
Reason: SelfAttested